हैंक यार्न रिटर्न का ई -फाइलिंग

वैधानिक हैंक यार्न तिमाही विवरणी ऑन लाइन भरने के लिए टेक्सटाइल मिलों से अपेक्षित है कि वे उनका पंजीकरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय की साइट www.txcindia.gov.in में शीर्षक 'ई – फाइलिंग ऑफ हैंक यार्न रिटर्न के उप शीर्षक 'मिल रजिस्ट्रेशन' के अंतर्गत करें । सभी मिलों को मिल पंजीकरण फार्म के सभी कॉलमों को भरना अनिवार्य होगा। जिस किसी कॉलम में भरने के लिए उनके पास जानकारी नहीं उपलब्ध होगी वहाँ उन्हे 'शून्य' लिखना होगा । पंजीकरण का फार्म भरते समय अधिकतम सावधानी बरतने की जरूरत होगी जिससे सही - सही जानकारी भरी जा सके , जैसेः-

क) पहले कालम में – वस्त्र आयुक्त कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम दर्शाना होगा ।

ख) तीसरे कॉलम में, इस कार्यालय के आर्थिकी अनुभाग द्वारा दी गई युजर मिल क्रम संख्या दर्शाई जाएं । यदि वह नई मिल है या अभी तक कोई संख्या आबंटित नहीं की गई हो, ऐसे मामले में, मिल को संबंधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करना होगा तथा प्रोविजनल मिल क्रम संख्या प्राप्त करनी होगी । यह भी सुनिश्चित करें कि वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा दिए गए नम्बरों के बीच कोई रिक्त स्थान न रहें ।

ग) यूजर नाम के सामने मिल उनका स्वयं का नाम चुन सकते हैं, जिसका प्रयोग फार्म के बाद के चरणों को भरने के लिये करना होगा । ठीक ऐसा ही पासवर्ड चुनना होगा और उसी पासवर्ड का प्रयोग इस फार्म को आगे भरने के लिए किया जा सकेगा ।

घ) अन्य शेष विवरणों, यथा, जिला, राज्य, टेलीफोन नंबर , ई-मेल आईडी, संगठन का प्रकार, एस एस आई, अथवा गैर एस एस आइ , कम्पोजिट अथवा स्पिनींग, स्पिन्डल्स की क्षमता, रोटर्स, रीलिंग मशीने , लूम की संख्या एवं प्रकार, नीटिंग मशीनें, शिफ्टों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, कार्य किए दिनों की संख्या आदि के संबंध में सटीक जानकारियाँ भरी जाएं ।

क्योंकि संबंधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इन विवरणों को सत्यापित किया जायेगा और उसके बाद ही वे मिलों के पंजीकरण को अनुमोदित करेंगे और उसे संबधित मिलों को सूचित करेंगे । यह सुनिश्चित किया जाए कि सही-सही पूरे विवरण पंजीकरण फार्म में भरे जाए क्योंकि गलत विवरण दिये जाने पर उसे संबधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा । पंजीकरण फार्म की स्वीकृति एवं पासवर्ड के शुरू होने में कम से कम दो कार्य दिवस लगेंगे और इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संबंधित मिल को दी जायेगी । पासवर्ड के सक्रिय होने के बाद, अर्थात, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से सूचना प्राप्ति के बाद संबंधित इकाई उस साइट में लाग इन करके ऑनलाइन विवरणी भरना शुरू कर सकते है।

लाग इन फार्म में यूजर टाइप कॉलम के सामने मिल को यूजर प्रकार में 'मिल' चुनना है उसी प्रकार पासवर्ड के कॉलम के सामने मिलों से अपेक्षित हे कि वे पंजीकरण के समय भरे गये पासवर्ड को भरें । तीसरे कॉलम के सामने अर्थात UNI /MSN (यूजर आयडेन्टिफिकेशन नंबर/मिल सिरीयल नंबर) के समक्ष संबंधित मिल को मिल क्रम संख्या दर्शाना होगा जो इस कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, जैसा कि पहले ही पंजीकरण फार्म में बताया जा चुका है।

2/-

लाग इन फार्म के यूजर टाइप, पासवर्ड एवं मिल क्रम संख्या भरने के बाद संबंधित यूनिट को लाग इन बटन दबाना पडेगा । सफल लाग इन के बाद तिमाही हैंक यार्न रिटर्न अनुलग्नक एक में डाटा फिडिंग करने हेतु यूजर मिल से अपेक्षित है कि वे स्टेप 1 में जाये और उसके बाद विहित अनुलग्नक -1 फार्म खुलेगा । यूजर मिल से अपेक्षित है कि वे एक भी कॉलम रिक्त छोडे बिना पूरा प्रोफार्मा भरें । स्टेप -1 प्रस्तुत करने के पश्चात ठीक इसी प्रकार स्टेप-2 एवं स्टेप-3 को भी सही - सही भरना होगा । ध्यान रखें कि स्टेप -1, स्टेप-2 एवं स्टेप-3 में यथा अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण भरने के उपरांत ही यूजर मिल से अपेक्षित है कि वे अनुलग्नक - 1 में पोस्टिंग टू ओटीएक्ससी बटन दबायें । एक बार ओटीएक्ससी में डाटा देने के बाद किसी प्रकार का सुधार, परिवर्तन यूजर मिल द्वारा नहीं किया जा सकेगा। अतः ओ टी एक्स सी में पोस्टिंग से पहले यूजर मिल सुनिश्चित करें कि सही आकडें/विवरण भरे गए हैं ।

हैंक यार्न पैकिंग में कमी होनेवाली इकाइयों को बाद में अनुलग्नक –॥ फार्म भरना होगा । ऐसी कमीवाली इकाइयों के हित के लिये साइट में 'रिपोर्टस' शीर्ष के अंतर्गत अधिक हैंक यार्न बनाने वाली इकाइयों की जानकारी दी गई है । हैंक यार्न पैकिंग में कमी वाली इकाइयाँ अधिक हैंक यार्न वाली इकाइयों को चुन सकती है और अपनी इस कमी को पूरा कर सकती हैं । हैंक यार्न में कमी वाली इकाइयों से अपेक्षा है कि वे खरीददारों के विवरण दें अर्थात हैंक यार्न में कमी वाली इकाई का विवरण तथा विक्रेता का विवरण अर्थात वैसी इकाइयाँ जिनके पास हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से ज्यादा हैंक यार्न है और जो हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी वाली इकाई हेतु हैंक यार्न बाध्यता को पूर्ण करने का कार्य करते है । इस मामले में भी अनुलग्नक –॥ पोस्टिंग टू ओटीएक्ससी को एक बार क्लिक करने पर कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। अतः हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी वाली इकाइयों से अपेक्षित है कि वे सही-सही हैंक यार्न बाध्यता पूरी करना , ओ टी एक्स सी पर पोस्ट करने से पहले सुनिश्चित करें ।

अर्थात यह स्पष्ट किया जाता है कि विवरणी की हार्ड कापी सी ए सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) के साथ भी संबधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय को मौजूदा मानकों के अनुरूप विहित प्रपत्र में दें। ई-फाइलिंग से इकाइयों को हैंक यार्न बाध्यता में कमी और इसी प्रकार हैक फार्म पैकिंग बाध्यता में आधिक्य वाली इकाइयों की ऑन लाइन जानकारी मिल सकेगी और इस प्रकार अपनी इस कमी को पूरा करने में उन्हें मदद मिलेगी ।